राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 01449/2023

गिरिराज मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सचिव, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. उप आयुक्त सह उप सचिव–द्वितीय, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक :
आदेश की दिनांक : 23.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मवीर थोलिया, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से :

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोषावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 18.11.1991 को शिक्षा विभाग में हुई थी। अपीलार्थी वर्ष 2004 में प्रधानाअध्यापक के पद पर माध्यमिक स्कूल में नियुक्त हुए। उसके बाद अपीलार्थी को वर्ष 2006 में प्रखंड प्रारंभिक शिक्षा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 10.06.2008 को विभाग को प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास एवं पचांयमी राज विभाग में बीडीओ के रूप में शामिल होने के बाद अपीलार्थी लगातार पंचायती राज विभाग में बीडीओं के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 11.05.2022 को एक आदेश जारी किया गया जिसमें अपीलार्थी एवं अन्य कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें उनके मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी का नाम जमवारामगढ़, जयपुर में क्रम संख्या 92 में दिखाया गया है। प्रत्यर्थी विभाग ने आदेश दिनांक 01.06.2022 द्वारा अपीलार्थी एवं 11 कार्मिकों को पुनः पंचायती

राज विभाग में प्रतिनियुक्ति पर उनकी सेवाएं बहाल करने के पूर्व आदेश दिनांकित 11.05.2022 को रद्द कर दिया गया और फिर से अपीलार्थी और कर्मचारियों को उनके संबंधित स्थानों पर पदस्थापित किया गया था। अपीलार्थी को पुनः पंचायत समिति, जमवारामगढ़ में बीडीओ के पद पर पदस्थापित किया गया है और इस क्रम में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 8 पर है। अपीलार्थी की रीढ़ की हड्डी में गंभीर और गंभीर दर्द है और 30.08.2022 से लगातार अपीलार्थी का इलाज करवा रहा है। अपीलार्थी, 26.09.2023 को चिकित्सा अवकाश पर रहने के दौरान, उन्हें दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–1) के आक्षेपित आदेश के बारे में पता चला, जिसमें अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति की गई थी जिसे रद्द कर दिया गया एवं उन्हें मूल विभाग वापस भेज दिया गया है। अपीलार्थी ने दिनांक 28.09.2022, 18.01.2023 एवं 22.03.2023 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए थे। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 01.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को खण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पचांयती राज विभाग में प्रतिनियुक्ति पर उनके कार्य में बिना किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करें एवं समस्त परिणामी लाभों के साथ नियुक्त किया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के पद पर जमवारामगढ़ जयपुर में कार्यरत था और आदेश दिनांक 01.09.2022 के द्वारा प्रतिनियुक्ति सेवा समाप्त कर उसे पैत्रिक विभाग भेज दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग को प्रतिनियुक्ति पर सेवा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है क्योंकि अपीलार्थी की विशेष प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाये नहीं ली गई थी उसकी सेवायें साधारण प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवाएं ली गई है। जिसे विभाग समाप्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है। इस प्रकार अपीलार्थी को उसके पैत्रिक विभाग के लिये सक्षम स्तर से आदेश जारी कर कार्यमुक्त किया गया है जिसमें कोई नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य (ए.आई.आर. 1991**

एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

5 अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम एस. एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270)** के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such ha rdship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

6 उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोषावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य